



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647]
No. 647]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 1999/कार्तिक 4, 1921
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 1999/KARTIKA 4, 1921

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1999

का.आ. 1052(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं और जिन्हें कृषि प्रयोजनों के लिए विक्रय किया जाना है, क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्मों, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही, पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किस्मों होंगी, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	किस्में	प्रकार
1	2	3
1.	पूसा अंकुर (डी बी एस आर-91)	बैंगन
2.	आजाद (हाइब्रिड)	बैंगन
3.	के के एम-1 (के एस एम 107)	बैंगन
4.	पन्त शंकर लौकी-1	लौकी

1	2	3
5.	पंजाब लॉग (एल सी-2-1)	लौकी
6.	सी ओ 3 (हाइब्रिड-8)	भिंडी
7.	अपंगला-1	इलाईची
8.	गुजरात चिली-2	मिर्च
9.	पी एल आर-1	मिर्च
10.	जवाहर मिर्च-283	मिर्च
11.	किन्नर रेड	पत्ता गोभी
12.	ऊटी-1	गाजर
13.	येरकाड-1	फ्रेंच बीन
14.	यमुना सफेद	लहसुन
15.	एम एच वाई-3	खरबूज
16.	जवाहर ओपियम-539	अफीम (ओपियम पोपी)
17.	कुफरी गिरिराज (एसएम 85-45)	आलू
18.	कुफरी आनन्द (एमएस 82-717)	आलू
19.	ऊटी-1	पालक
20.	क्रोस-4 (व्हाइट)	शकर कन्द

[फा. सं. 17-103/97-एस डी-IV]

गोविन्दन नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1999

S.O. 1052 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary or expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (2) of the Table below of the kinds specified in corresponding entries in column (3) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares the said varieties of seeds shall be the notified varieties for a period of fifteen years from the date of publication of this notification in the official Gazette for the purposes of the said Act, namely :—

TABLE

S. No.	Variety	Kind
1	2	3
1.	Pusa Ankur (DBSR-91)	Brinjal
2.	Azad (Hybrid)	Brinjal
3.	KKM-1 (KSM-107)	Brinjal

1	2	3
4.	Pant Shankar Lauki-1	Bottle gourd
5.	Punjab long (LC-2-1)	Bottle gourd
6.	Co 3 (Hybrid-8)	Bhindi
7.	Appangala-1	Cardamom
8.	Gujarat Chilli-2	Chilli
9.	PLR-1	Chilli
10.	Jawahar Mirch 283	Chilli
11.	Kinner Red	Cabbage
12.	Ooty-1	Carrot
13.	Yercaud-1	Frenchbean
14.	Yamuna Safed-3	Garlic
15.	MHY-3	Musk melon
16.	Jawahar Opium-539	Opium poppy
17.	Kufri Giri Raj (SM/85-45)	Potato
18.	Kufri Anand (MS/82-717)	Potato
19.	Ooty-1	Spinach
20.	Cross-4 (White)	Sweet Potato

[F. No. 17-103/97-SD-IV]

GOVINDAN NAIR, Jt. Secy.